कार्यालय

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–:आम सूचना:–

पाकुड़ जिला अन्तर्गत अंचल–पाकुड़ के विभिन्न मौजों में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पाकुड़ द्वारा पाकुड़ वाईपास सड़क निर्माण परियोजना हेतु रैयती भूमि अर्जन करने का प्रस्ताव किया गया है। नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–4 अन्तर्गत रैयती भूमि अर्जन करने से पूर्व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन किया जाना है। इस परियोजना का एस0आई0ए0 का कार्य उपायुक्त, पाकुड़ के आदेशानुसार Social Action for Rural Development, SARDA Bhawan, Chhotki Murram, Ramgarh Cantt. Dist- Ramgarh के द्वारा किया गया तथा एस0आई0ए0 अध्ययन कर प्रारंभिक प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–5 के अनुसार सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन के अन्तर्गत भू–अर्जन से प्रभावित रैयतों के साथ लोकसुनवाई किया जाना आवश्यक है।

उक्त परिपेक्ष्य में भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–4 एवं 5 का अनुपालन करते हुए प्राप्त एस0आई0ए0 प्रतिवेदन के आधार पर लोकसुनवाई करने हेतु निम्नप्रकार ग्राम सभा आयोजित करने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित की जाती है।

पाकुड़ वाईपास सड़क निर्माण परियोजना हेतु लोकसुनवाई की तिथि

क0	अंचल	गॉव का नाम	ग्राम सभा का स्थल	ग्राम सभा की तिथि	जिला से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का पदनाम
1	पाकुड़	पियादापुर–121, चकबलरामपुर–120, महुआडांगा–82 / 119, महुआडांगा–119 / 82, नंदीपाड़ा–84, अलीगंज –81	ऑगनवाड़ी केन्द्र पियादापुर के परिसर में।	20.02.2017 (11.00 बजे पूर्वाह्न)	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़।
2	पाकुड़	दुर्गापुर– 46, गोसाईपुर–47	उत्क्रमित प्राथमिक विधालय, दुर्गापुर के परिसर में।	21.02.2017 (11.00 बजे पूर्वाह्न)	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़।
3	पाकुड़	कोलाजोड़ा–29, आसनढीपा–30	कोलाजोड़ा प्राथमिक विधालय परिसर में	22.02.2017 (11.00 बजे पूर्वाह्न)	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़।
4	पाकुड़	मटियापहाड़ी–22, शहरकोल–21	ऑगनवाड़ी केन्द्र मटियापहाड़ी के परिसर में।	23.02.2017 (11.00 बजे पूर्वाह्न)	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़।

उपायुक्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक 43 / भू0अ0 पाकुड़, दिनांक 15/02/2017

प्रतिलपि – ग्राम पंचायतों के मुखिया / वार्ड पर्षद, वार्ड संख्या–3 / संबंधित राजस्व ग्रामों के प्रधानों को प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी रैयतों तथा ग्रामीणों की उपस्थिति लोक सुनवाई में निर्धारित स्थल एवं समय पर करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि– Managing Director-cum-Secretry Social Action for Rural Development, SARDA Bhawan, Chhotki Murram, Ramgarh Cantt. Dist- Ramgarh को सूचनार्थ एवं लोकसुनवाई में उपस्थित होने हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि लोक सुनवाई हेतु निर्धारित स्थल पर बैठने तथा माईक की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें तथा लोक सुनवाई में दिये गये सभी रैयतों के वक्तव्यों को नाम के साथ अभिलिखित कर लोक

सुनवाई की कार्यवाही संधारित करेगें, साथ ही सारी कार्यवाही का हरहाल में विडीयो ग्राफी करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से अंचल निरीक्षक एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्रचार–प्रसार करने एवं लोकजनसुनवाई में उपस्थित रहने हेतु आदेश निर्गत करें तथा स्वंय भी निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होकर कार्यवाही संचालन में सहयोग करेगें।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि लोकसुनवाई स्थल पर विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पाकुड को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
पाकुड़।